न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 03/2023

प्रार्थी

1. श्री बसुराराम पुत्र श्री रामाजी जाति गरासिया निवासी सियावा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री नारायणलाल पुत्र स्व. श्री भेराराम जाति सरगडा निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री भेराराम जाति सरगडा निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. श्री मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री भेराराम जाति सरगडा निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
4. श्रीमती मीरा पत्नि स्व. श्री भेराराम जाति सरगडा निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
5. श्रीमती शारदा देवी पुत्री स्व. श्री भेराराम जाति सरगडा निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
6. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व. श्री भेराराम जाति सरगडा निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
7. श्री उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड जिला सिरोही।
9. श्री डिविजनल रेलवे मैनेजर, रेलवे विभाग, भारत सरकार अजमेर जिला अजमेर।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नगेन्द्र मेडतिया अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक से छः की ओर से।
3. श्री वीरेन्द्र एम. चौहान, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या नौ की ओर से।
4. पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 17.02.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा सियावा पटवार हल्का सियावा, तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 617/2731 रकबा 2.10 बीघा किस्म भूमि गै0मु0मगरी आई हुई है, जो उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से छः के पूर्व रसाधिकारी श्री रता पुत्र श्री हरना जाति सरगडा निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के नाम आवंटन की गई है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4)

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 02

के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या एक से छः की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा एवं अप्रार्थी संख्या नौ की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या सात व आठ की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि मौजा सियावा, पटवार हल्का सियावा, तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 617/2731 रकबा 2.10 बीघा किस्म भूमि गै0मु0मगरी आई हुई है। यह कि अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन व पांच से छः के दादा व अप्रार्थी संख्या चार के ससुर श्री रता पुत्र हरनाजी को गांव सियावा पटवार हल्का सियावा के खसरा सख्या 617/2731 की रकबा 2 बीघा 10 विस्वा भूमि को गैर खातेदारी अधिकार सन् 2002 मे जरिये नामान्तरकरण संख्या 964 दिनांक 02.01.2002 के द्वारा दिये गये, जो कि एस.डी.एम. साहब के आदेश क्रमांक/राज/83/762–63 दिनांक 19.11.1983 तथा तहसीलदार महोदय के आदेश क्रमांक 3180 दिनांक 21.11.1983 के द्वारा दिनांक 02.01.2002 को उक्त नामान्तरकरण अवैध रुप से भरा गया है। आवंटन के आदेश की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रार्थी ने मांग रखी है, जो प्राप्त होने पर पेश की जायेगी। साथ ही भैराराम के नाम खसरा संख्या 617/2731 मे जरिये नामान्तरकरण संख्या 1010 दिनांक 06.06.2002 को भरा गया और भैराराम को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1033 दिनांक 06.05.2003 को खातेदारी अधिकार भी दिये गये है। श्री रता पुत्र श्री हरना सांतपुर का निवासी था और खातेदारी भूमि सियावा में स्थित है, जो सांतपुर से करीब 4–5 किलोमीटर दूर है। जिससे श्री रता का कब्जा होना सम्भव नहीं था। साथ ही श्री रता पुत्र हरना कृषक नहीं था, क्योंकि वह भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन भारतीय रेलवे में स्टीम सेड आबूरोड मे बायलर मेकर के पद पर काम करता था और सरकारी कर्मचारी था, जो सन् 1984 मे रिटायर्ड हुआ है। साथ ही श्री भेरा पुत्र रता भी रेलवे में डीजल सेड, आबूरोड में मैकेनिकल मे चार्ज मैन के पद पर नौकरी करता था, तो भू–राजस्व अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार एक ऐसे कृषक को ही दिये जा सकते है, जिसके पास अन्य कोई कृषि भूमि नहीं हो एवं मात्र अपने कब्जे मे जो कृषि भूमि है, उसी पर कृषि कार्य कर गुजारा चला रहा हो। ना तो श्री रता पुत्र हरना कृषक था ना ही श्री भैरा पुत्र रता कृषक था, क्योकि दोनों ही रेलवे में भारत सरकार की नौकरी में थे और ऐसे में उन्हें खातेदारी अधिकार नही मिल सकते है। आज भी अप्रार्थी संख्या चार श्रीमती मीरादेवी पत्नी भैरारामजी को रेलवे विभाग से पेंशन प्राप्त हो रही है। यह कि श्री रतना पुत्र हरना को गैर खातेदारी अधिकार 2.10 बीघा भूमि पर मिले है। जबकि मौके पर अप्रार्थी संख्या एक से छः का करीब 1 बीघा 10 विस्वा भूमि पर पेट्रोल पम्प बना हुआ है तथा 1 बीघा पर होटल बना रखी है। पेट्रोल पम्प व होटल के बीच करीब 500 फीट की दूरी है तथा करीब 3 बीघा से अधिक बिलानाम भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया है। तथा वन भूमि पर भी अवैध रुप से कब्जा कर रखा है। जिससे अप्रार्थीगण के पास करीब 7–8 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है तथा उक्त ऐलोटमेण्ट भ्रष्ट्राचार कर अपने पैसों के प्रभाव का उपयोग कर राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मेल मिलाप कर अपने सरकारी नौकरी में होने के तथ्य को छुपाकर ऐलोटमेण्ट करवाया है, जो निरस्त योग्य है। यह कि अप्रार्थी के द्वारा अपने ऐलोटमेण्ट से लेकर कभी कोई कृषि कार्य नहीं किया है। ना ही ऐलोटमेण्ट के पूर्व कोई कब्जा था। बल्कि अपने सरकारी नौकरी मे होते हुये गलत रुप से हल्का पटवारियों से

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 03

मिल कर बिलानाम गैर मुमकिन मगरी की भूमि पर अपना कब्जा बता कर तथा कृषि कार्य पर ही जीवन यापन करना बताकर गैर खातेदारी दर्ज करवाई और गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त की है और गैर खातेदारी सन 2002 में प्राप्त कर सन 2003 मे ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये है। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पिता व पति भैराराम के द्वारा अपने प्रभाव का उपयोग कर उक्त भूमि में गलत रुप से खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है, जिससे खातेदारी अधिकार निरस्त योग्य है। यह कि सियावा गांव पूर्ण रुप से आदिवासी गांव है और आस पास की समस्त भूमि आदिवासियों के Livelihood Rights के तहत कब्जे में है जिसका Settlement Individual Forest Rights under the Forest Right Act (FRA) 2006 के तहत है, उक्त अधिकारों हेतु प्रत्येक जिले मे जिला कलेक्टर के अधीन एक जिला स्तरीय कमेटी के जरिये उन्हें अधिकार दिये हुए है, जिससे उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से 4–5 किलोमीटर दूर गांव के व्यक्तियो को भूमि आवंटन नही हो सकती है और आवंटन निरस्त योग्य है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना फरमावे तथा नामान्तरकरण संख्या 964 दिनांक 02.01.2002 तथा नामान्तरकरण संख्या 1010 दिनांक 06.06.2002 तथा नामान्तरकरण संख्या 1033 दिनांक 06.05.2003 को अपास्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक से छः की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि विवादित भूमि ग्राम सियावा में आई हुई है। यह कि वादग्रस्त आराजी मौजा सियावा के खसरा संख्या 617/2731 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन स्वर्गीय श्री रता पुत्र श्री हरनाजी सरगडा निवासी सांतपुर को आवंटन वर्ष 1983 में किया जाकर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया था, उक्त आवंटन का नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर मौके पर कब्जा होने तथा काश्त होने से खातेदारी हक अधिकार प्रदान किए गए थे। उक्त खसरा संख्या 617/2731 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा की आराजी के स्वर्गीय श्री रता पुत्र हरनाजी सरगडा खातेदार कृषक बने। स्वर्गीय रता पुत्र हरनाजी सरगडा की मृत्यु के बाद उक्त आराजी उनके पुत्र श्री भेराराम पुत्र रताजी सरगडा के नाम से दर्ज किया गया। श्री भेराजी की मृत्यु के बाद उक्त आराजी उनके उत्तराधिकारी अप्रार्थी संख्या एक से छः को प्राप्त हुई तथा उनके नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। उक्त आराजी का आवंटन विधि अनुसार किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अवैद्यता या अनियमितता नहीं है। गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह कि स्वर्गीय रता पुत्र हरनाजी सरगडा रेलवे विभाग में नौकरी करने का कथन गलत व मनगढंत है। स्वर्गीय रता पुत्र हरनाजी सरगडा एक कृषक थे, जिनके हक में आवंटन विधि अनुसार हुआ है, जिसको चुनौती देने का प्रार्थी को कोई हक अधिकार नहीं है। उपरोक्त आवंटित भूमि में से 1111.11 वर्गगज भूमि का रूपान्तरण वाणिज्यक (ढाबा) प्रयोजनार्थ हो चुका है तथा संपरिवर्तित भूमि पर ढाबा का संचालन वर्ष 2006 से किया जा रहा है। मौके पर उसका वाणिज्यक उपयोग हो रहा है, जिससे आराजी कृषि भूमि नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं है। यह कि अप्रार्थीगण की आराजी में प्रार्थी द्वारा अवैद्य रूप से कब्जा किया गया है, जिसके सम्बन्ध में धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही सक्षम तहसीलदार आबूरोड के न्यायालय में अप्रार्थीगण द्वारा की गई थी, जिसके प्रार्थना पत्र संख्या 01/2020 है। उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 12.07.2022 को विधि अनुसार निर्णय पारित होकर प्रार्थी को बेदखल किया जाकर अप्रार्थी संख्या एक से छः को कब्जा दिलाए जाने के आदेश प्रदान किए है। उक्त आदेश पारित होने के बाद प्रार्थी ने बदले की भावना से प्रेरित होकर गलत

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 04

तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण की भूमि व राजकीय भूमि पर प्रार्थी द्वारा कब्जा किया गया है। अप्रार्थीगण के पूर्वज स्वर्गीय रता पुत्र हरनाजी सरगडा द्वारा किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है तथा न ही किसी से भी मेल मिलाप कर आवंटन करवाया गया है। यह कि आवंटन के बाद से लगातार उक्त आराजी पर कब्जा काश्त आवंटी स्वर्गीय रता पुत्र हरनाजी सरगडा का रहा है तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान का कब्जा है, अप्रार्थीगण के पूर्वजों को विधि अनुसार खातेदारी हक प्रदान किए गए थे। खातेदारी हक अधिकार नियमानुसार दिए गए है, विधि में आवंटन के 10 वर्ष व संशोधन के अनुसार तीन वर्ष बाद खोतदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाने का प्रावधान विधि में है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह कि प्रार्थी द्वारा सियावा गाँव आदिवासी गाँव होना गलत कथन किया गया है, जबकि सियावा गाँव में सभी जाति के लोग निवास करते है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण व राजकीय भूमि पर अवैद्य रूप से कब्जा किया था, जिसे विधि अनुसार बेदखली के आदेश पारित हो चुके है। यह कि अप्रार्थीगण के पूर्वजों को उक्त आराजी के खातेदारी हक अधिकार प्राप्त हो चुके थे तथा उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या एक से छः को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, जिससे खातेदार हक अधिकार प्राप्त होने के बाद यह प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबल ही नहीं है तथा खारिज किए जाने योग्य है। यह कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र करीब 42 वर्षों की समयावधि के बाद प्रस्तुत किया गया है, जो जाहिरा म्याद बाहर है। आबंटन की गई आराजी में अप्रार्थीगण संख्या एक से छः शांतिपूर्ण काबिज रहे है, प्रार्थी को अप्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं होते हुए भी अवैद्य रूप से कब्जा कर काबिज हुआ है तथा बदले की भावना से 42 वर्षों की लम्बी अवधि के बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण खारिज किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या सात व आठ की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया है कि उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 617/2731 रकबा 2.10 बीघा किस्म भूमि गै0मु0मगरी श्री रता पुत्र हरनाजी को उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के द्वारा आवंटन की गई थी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 964 दिनांक 02.01.2002 राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर स्वीकृत किया गया था। स्वर्गीय रता पुत्र हरनाजी सरगडा की मृत्यु के बाद उक्त आराजी उनके पुत्र श्री भेराराम पुत्र रताजी सरगडा के नाम से दर्ज किया गया। श्री भेराजी की मृत्यु के बाद उक्त आराजी उनके उत्तराधिकारी अप्रार्थी संख्या एक से छः के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई एवं वर्तमान में उक्त वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या एक से छः के नाम से ही बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

अप्रार्थी संख्या नौ की ओर से अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र एम.चौहान की ओर से दौराने बहस निवेदन किया गया कि उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 617/2731 रकबा 2.10 बीघा से अप्रार्थी संख्या नौ का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा गलत कथनों के आधार पर अप्रार्थी संख्या नौ को गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या नौ की ओर से प्रस्तुत जबाव स्वीकार फरमाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को सव्यय खारिज करना फरमावें।

मैनें दोनो पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलिभांति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 05

सियावा पटवार हल्का सियावा, तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 617/2731 रकबा 2.10 बीघा किस्म भूमि गै0मु0मगरी आई हुई है, जो उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा जरिए आदेश क्रमांक/राज/83/762–63 दिनांक 19.04.1983 अप्रार्थी संख्या एक से छः के पूर्वरसाधिकारी श्री रता पुत्र श्री हरना जाति सरगडा निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के नाम आवंटन की गई थी, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 964 दिनांक 02.01.2002 के द्वारा आवंटित भूमि को श्री रता पुत्र श्री हरनाजी सरगडा निवासी सांतपुर के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया। श्री रता पुत्र श्री हरनाजी की फौत होने पर उनके उत्तराधिकारी श्री भेरा पुत्र श्री रता जाति सरगडा निवासी सांतपुर के नाम नामान्तरकरण संख्या 1010 दिनांक 06.06.2002 के द्वारा बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1033 दिनांक 06.05.2003 के द्वारा आंवटी श्री रता पुत्र श्री हरनाजी सरगडा के उत्तराधिकारी श्री भेरा पुत्र श्री रताजी सरगडा को खातेदारी दर्ज की गई। इसके उपरान्त खातेदार श्री भेरा पुत्र श्री रताजी सरगडा की फौत होने से उनके वारिसदार अप्रार्थी संख्या एक से छः के नाम जरिए नामान्तरकरण संख्या 1991 दिनांक 17.11.2021 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा संख्या 617/2731 रकबा 2.10 बीघा भूमि में से 1111.11 वर्गगज भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा वाणिज्यिक ढाबा प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भी करवाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उपरोक्त आंवटित भूमि पर प्रार्थी द्वारा कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय तहसीलदार आबूरोड में 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मुकदमा दायर किया गया, जो प्रकरण संख्या 01/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद सुनवाई पक्षकारान दिनांक 12.07.2022 को निर्णय पारित किया गया, जिसमें न्यायालय तहसीलदार आबूरोड द्वारा प्रार्थी का उपरोक्त वर्णित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया जाना पाए जाने पर बेदखली के आदेश पारित किए गए। इसके उपरान्त प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर आबूरोड में अन्तर्गत धारा 88, 188, 91ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिसे भी न्यायालय सहायक कलक्टर आबूरोड द्वारा खारिज किया गया। न्यायालय तहसीलदार आबूरोड में प्रस्तुत पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर मौके पर उपरोक्त वर्णित भूमि के कुछ भाग पर प्रार्थी द्वारा टीनशेड लगाकर पक्का निर्माण कर पर कब्जा किया हुआ है। अतः प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि उक्त विवादित भूमि अप्रार्थीगण को आवंटित होने तथा राजस्व रेकर्ड में भी वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने के बावजूद भी प्रार्थी का उसके कुछ भाग पर कब्जा है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि उपरोक्त वर्णित भूमि के कुछ भाग पर प्रार्थी का वैध कब्जा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 617/2731 की भूमि पर अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, जबकि राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन निरस्त नहीं करने का सिद्धान्त माननीय राजस्व मण्डल, राज. अजमेर द्वारा **आरआरडी 1986** पेज 137 (एकल पीठ) **आरआरडी 1987** पेज 371 (वृहद पीठ) एवं 359 (एकल पीठ), **आरआरडी 1999** पेज 128 (माननीय उच्च न्यायालय) द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधित दृष्टांत आरआरटी 2008(2) पेज 834 **आरबीजे 2001** पेज 125, शंकरलाल बनाम सरकार, 1996 पेज 287 राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विधालय बनाम सरदारसिंह, 2001 पेज 593 बदरी बाई बनाम राजाराम, **आरआरडी 1999** पेज 128 दलपतसिंह बनाम राजस्व मण्डल, **आरआरटी 2007(2)** पेज 1240 सूरजमल बनाम सरकार, पेज 1430 राजस्थान सरकार बनाम भंवरलाल, **डीएनजे**

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 06

(राज.) 1997 पेज 632 गोपीराम बनाम सरकार, **एआईआर (एस.सी) 1994** पेज 1128 बृजलाल बनाम राजस्व मण्डल, **आरआरटी** 2004 पेज 352 परसु बनाम राजस्थान सरकार, 2007 पेज 18 मोहम्मद खान बनाम बृजलाल एवं 2006 पेज 424 राम खिलाडी बनाम दौलतराम प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त विधिक दृष्टांतो में विलम्ब से प्रस्तुत एवं खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के बाद राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत आवंटन निरस्त के प्रकरण खारिज किये गये है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत पर मनन किया, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एआईआर 1994 पेज 1128, आरबीजे 1995 पेज 1780 में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। चूंकि प्रकरण में आंवटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नहीं किए जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र प्रथमदृष्टया परिपोषणीय प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही